

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

मेहनत आदि

वनाम

जयनारायण आदि

दावा बाबत :- 88 RACT


मुकदमा नम्बर :- 309/2021

निर्णय दिनांक :- 22-10-2021

वादी की ओर से वकील अशोक कुमार वर्मा की व प्रतिवादी सं०.....) की ओर से वकील पुनमचन्द वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-10-21 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती शकुन्तला चौधरी के खाता सं. 130/116 के मु. नं. 140 के किरा नं. 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 17/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु. नं. 147 किरा नं. 8 ता 10 मु. नं. 148 किरा नं. 16/1, 17/1, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु. नं. 163 के किरा नं. 4, 5, मु. नं. 171 के किरा नं. 4, 5 कुल ₹ 2380/- वारान ₹ 2010/- का मु. रास्ता 0.0370 एकड़ का शुद्ध कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 जयनारायण के नाम रजिस्टर रिकार्ड के दख है में से प्रतिवादी सं. 1 जयनारायण का नाम कलामपन किया जाकर वादीगण सं. 1 ता 4 के वरिष्ठा वारावर के खातेदार का इतकर बोधित किया जावे है मुक्ति प्रतिवादी सं. 1 का मे अपना समुची हक व वरिष्ठा वादीगण सं. 1 ता 4 के पक्ष में ल्याग कर चुन्य कर लिया है इसी लिए ल्याग किया जाये वरिष्ठा पर पंजीयन विभाग को पेश पंजीयन मुलक एवं स्वाम्य अयुक्त अदा करे व अधिक हकिमती मु. नं. के रकन के ली रकन मु. नं. के उपरान्त ही रजिस्टर रिकार्ड में बदल दराभर किया जावे। वादीगण का डिक्री का माग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (शकुन्तला चौधरी)
 (अधिकारी प्रशासक)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
 सहायक कलक्टर (संग/कैम्प कोर्ट)
 भादरा, जिला हनुमानगढ़